संख्या-80/2023/आई/272188/001-41-1002-001-1-2021-पार्ट-4

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 08 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7027/3-लेखा/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 26.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल रु0 2300.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452 के अन्तर्गत मद 14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से निम्नलिखित मदों में रु0 15,54,60,000/-(रु0 पन्द्रह करोड़ चौवन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखें जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808000400 (प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय)	42 (अन्य व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2022-2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	42 (अन्य व्यय)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	7,90,00,000 रुपये सात करोड़ नव्वे लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	2022-2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	2022-2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	4,37,40,000 रुपये चार करोड़ सैंतीस लाख चालीस हजार मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	72,60,000 रुपये बहत्तर लाख साठ हजार मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	08 (कार्यालय व्यय)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	47,00,000 रुपये सैंतालीस लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 21,15,00,000	₹ 15,54,60,000		

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का मिलान महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
2	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
3	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			**22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452801040300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
2	044	3452801040300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	044	3452801040300 अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
4	044	3452801040300	17	2,60,000

http://shasanadesh.up.gov.in

		अधिष्ठान	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	(रुपये दो लाख साठ हजार मात्र)
5	044	3452801040300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			**17,60,000** **(रुपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
2	044	3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
3	044	3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार	42 अन्य व्यय	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**15,00,00,000** **(रुपये पंद्रह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000400 (प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808000400 प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय	42 अन्य व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
	कुल			**15,00,000** **(रुपये पंद्रह लाख मात्र)**

महायोग	15,54,60,000 (रुपये पंद्रह करोड़ चौवन लाख साठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-80/2023/आई/272188/001-41-1002-001-1-2021-पार्ट-4 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20222023-41-1002-002-2-2021-4

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001400 (पर्यटन नीति 2018 के अर्न्तगत पयर्टन इकाइयों को प्रोत्साहन)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	43,00,00,000 रुपये तैंतालीस करोड़ मात्र	23,00,00,000 रुपये तेईस करोड़ मात्र	21,15,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ पंद्रह लाख मात्र	15,54,60,000 रुपये पंद्रह करोड़ चौवन लाख साठ हजार मात्र	27,45,40,000 रुपये सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र	2022-2023
कुल					₹ 21,15,00,000	₹ 15,54,60,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808000400 (प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय)	42 (अन्य व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2022-2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	42 (अन्य व्यय)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	7,90,00,000 रुपये सात करोड़ नव्वे लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	2022-2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	2022-2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	4,37,40,000 रुपये चार करोड़ सैंतीस लाख चालीस हजार मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	72,60,000 रुपये बहत्तर लाख साठ हजार मात्र	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	2022-2023
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	08 (कार्यालय व्यय)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	47,00,000 रुपये सैंतालीस लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 21,15,00,000	₹ 15,54,60,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संख्या:RE-budget-1-300-E-7-236-X-2022-23-दिनांक:30-01-2023

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश।

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव।

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव।

संख्या- 80/2023/आई/272188/001-41-1002-001-1-2021-Part-4

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।